

**कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, फैजाबाद।**

विज्ञापन संख्या एवं तिथि: 537/2023 दि०-16.10.2023  
आवेदन की अन्तिम तिथि: 20.11.2023

**विज्ञप्ति**

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के पत्र सं०-3319/एसएलएसए-05/2002/पीएलए/फैजाबाद दिनांकित 16.10.2023 के अनुपालन में जनपद फैजाबाद में गठित स्थायी लोक अदालत में पेशकार के रिक्त पद पर पेशकार की नियुक्ति संविदा के आधार पर नियत पारिश्रमिक पर की जानी है, जिनका विवरण निम्न प्रकार है:-

पद का नाम	पदों की संख्या	अर्ह आवेदक एवं नियत मासिक मानदेय
पेशकार	1	दीवानी न्यायालय/कलेक्ट्रेट न्यायालय के सेवानिवृत्त कर्मचारियों से रू०-9000/- नियत मासिक मानदेय पर।

उपरोक्त रिक्त पद पर आवेदन हेतु माननीय जनपद न्यायाधीश, फैजाबाद के आदेश सं० 537/2023, दिनांकित 16.10.2023 के अनुपालन में अर्ह अभ्यर्थियों से आवेदन आमन्त्रित किए जाते हैं। आवेदन पत्र पर अभ्यर्थी अपना नाम, पता, जन्मतिथि, विभाग का नाम जहाँ से सेवानिवृत्त हुए हैं, सेवानिवृत्ति की तिथि, फिटनेस प्रमाण-पत्र, पहचान-पत्र (आधार कार्ड, मतदाता पहचान-पत्र आदि) तथा मोबाइल नम्बर अंकित करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, फैजाबाद के कार्यालय में दिनांक 30.10.2023 साँय 05.00 बजे तक जमा करने हेतु आवेदन पत्र आमन्त्रित किये गये थे। माननीय जनपद न्यायाधीश के निर्देशानुसार स्थायी लोक अदालत में पेशकार के रिक्त पद पर पेशकार की नियुक्ति हेतु आवेदन करने हेतु फार्म जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, फैजाबाद के कार्यालय में जमा करने की **अन्तिम तिथि दिनांक 30.10.2023 से बढ़ाकर दिनांक 20.11.2023 तक** कर दिया गया है। आवेदक किसी भी कार्यदिवस में 10.00 बजे से 05.00 बजे के मध्य दिनांक 20.11.2023 तक प्राप्त किया जा सकता है।

(शैलेन्द्र सिंह यादव)  
अपर जिला जज/सचिव,  
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,  
फैजाबाद।

पत्रांक सं०-1733/56-23 / जि०वि०से०प्रा० / फैजाबाद, दिनांक: 04-11-2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, फैजाबाद।
2. चेयरमैन, स्थायी लोक अदालत, फैजाबाद।
3. जिलाधिकारी, फैजाबाद को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह कलेक्ट्रेट न्यायालय के नोटिस बोर्ड पर विज्ञप्ति चस्पा एवं प्रसारित करवाते हुए सम्बन्धित कर्मचारी संघ, यदि हों के मध्य सूचना हेतु प्रसारित करवाएँ।
4. नोडल अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग को जनपद न्यायालय, फैजाबाद तथा माननीय उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड करवाने हेतु।
5. जिला सूचना अधिकारी, फैजाबाद को स्थानीय समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।
6. जनपद न्यायालय, फैजाबाद के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

(शैलेन्द्र सिंह यादव)  
अपर जिला जज/सचिव,  
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,  
फैजाबाद।